न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगाराम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 41/2016

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. प्रेमचन्द पुत्र सीमाराम जाति माली निवासी बेरा तेज– सागर नेहडा बेरा सोजत सिटी, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली		1. नेमाराम पुत्र सीमाराम मांगीलाल पुत्र कानाराम निवासी बेरा 2. तेज सागर नेहडा बेरा सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0 3. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राज0

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री धर्मीचन्द देवासी, अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. श्री विनोद वैष्णव, अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 16-10-24

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सोजत चक 02 के खसरा नम्बर 3223/3525 रकबा 2.0500 हैक्टर की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि का वादी द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा चाहा गया है। प्रकरण में दिनांक 10.07.2017 को बाद सुनवाई वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक/राजस्व /601 दिनांक 19.02.2024 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया जो सा0मि0 है। प्राप्त विभाजन पर अनुसार वादी अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रमाणित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 11.08.2023 के अनुसार वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

–:आदेश :–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 11.08.2023 अनुसार डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक 02 के खखसरा नम्बर 3223/3525 रकबा 2.0500 हैक्टर की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का

उपखण्ड अधिकारी

...ड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	मांगीलाल पुत्र कानाराम जाति माली सा.देह खातेदार	2332 / 3525	1.0250	बा0अ0	6.15
		01	1.0250		6.15
2.	प्रेमचन्द पुत्र सीमाराम जाति माली सा0 देह खातेदार	3223 / 3525 मिन	0.5125	बा0अ0	3.075
		01	0.5125		3.075
3	नेमाराम पुत्र सीमाराम जाति माली सा0देह खातेदार	3223 / 3525 मिन	0.5125	बा0अ0	3.075
		01	0.5125		3.075

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो

(मासिंगाराम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 16/10/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगाराम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आ020 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री मांगीराम, आर.ए.एस.

वादीगण

1. प्रेमचन्द पुत्र सीमाराम जाति माली निवासी बेरा तेज- सागर नेहडा बेरा सोजत सिटी, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नेमाराम पुत्र सीमाराम
2. मांगीलाल पुत्र कानाराम निवासी बेरा तेज सागर नेहडा बेरा सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0
3. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राज0

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद 41/2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री धर्मीचन्द देवासी अधिवक्ता वादी तथा श्री विनोद वैष्णव अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा सोजत चक 02 के खखसरा नम्बर 3223/3525 रकबा 2.0500 हैक्टर की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	मांगीलाल पुत्र कानाराम जाति माली सा.देह खातेदार	2332/3525	1.0250	बा0अ0	6.15
		01	1.0250		6.15
2.	प्रेमचन्द पुत्र सीमाराम जाति माली सा0 देह खातेदार	3223/3525 मिन	0.5125	बा0अ0	3.075
		01	0.5125		3.075
3	नेमाराम पुत्र सीमाराम जाति माली सा0देह खातेदार	3223/3525 मिन	0.5125	बा0अ0	3.075
		01	0.5125		3.075

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। इस निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

उपखण्ड अधिकारी

सोजत, जिला-पाली

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18/10/24 को जारी की गई।

(मारिगाराम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली

मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	,शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीरा कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.

उप खण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली (राज.)